भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 415
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा

415. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चाः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कैलाश मानसरोवर में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अवसंरचना विकास के लिए कोई उपाय किए हैं;
(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली प्रारंभ करने की मंशा रखती हैं;
(ग) इस तीर्थस्थल पर पर्यावरण संरक्षण, बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार तीर्थयात्रियों के बेहतर प्रबंधन, कोटा और आर्थिक रूप से कमजोर तीर्थयात्रियों के लिए प्रभावी समर्थन देने के लिए कोई नीति बना रही है, और
(ङ) सरकार ने संभावित तीर्थयात्रियों, विशेष रूप से सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) से (ङ) भारत सरकार (जीओआई) प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के बीच उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा (1981 से) और सिक्किम में नाथू ला दर्रा (2015 से) के दो आधिकारिक मार्गों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करती है। कोविड–19 महामारी और उसके बाद के प्रतिबंधों के कारण 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हुई है।

यात्रा के संचालन के दौरान, भारत सरकार विभिन्न सुविधाजनक कदम उठाती है, जिनमें पंजीकरण और चयन प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए एक समर्पित वेबसाइट, यात्रियों के साथ संचार और एक द्विभाषी हेल्पलाइन शामिल है। भारत सरकार स्वयं भुगतान के आधार पर यात्रा के लिए भारतीय क्षेत्र में आवास, भोजन, परिवहन और कुलियों सहित संभार तंत्र संबंधी व्यवस्था करती है।

यद्यपि भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से यात्रियों को कोई प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है, फिर भी भारत सरकार विज्ञापन, पहचान पत्रों, पोस्टरों, प्रमाण–पत्रों के मुद्रण और चीनी सिम कार्डों (संपर्क अधिकारियों के लिए) आदि पर अतिरिक्त व्यय करती है। समय–समय पर भारत सरकार यात्रा मार्ग पर सुविधाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल के वर्षों में लिपुलेख दर्रे तक यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क संपर्क स्थापित किया गया है।

प्रत्येक बैच के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से दो संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। संपर्क अधिकारी संबंधित भारतीय और चीनी अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और यात्रियों की सुरक्षा और भलाई के लिए किसी भी आपात स्थिति में सहायता मांगते हैं। आपातकालीन स्थिति में संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करके यात्रियों को हेलीकॉप्टर द्वारा हवाई मार्ग से ले जाने की भी व्यवस्था है। भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) भारतीय सीमा पर यात्रियों को सुरक्षा और बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करती है।

*****